बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-11/आ०2-1056/2025- 412   पटना, दिनांक- 18/2/26

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद अन्तर्गत संचालित ''हर घर नल का जल'' योजनाओं की क्रियाशीलता की जाँच जिला प्रशासन, जहानाबाद के स्तर से विभिन्न चरणों में करायी गयी। निरीक्षण के उपरान्त विभागीय पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा से विदित होता है कि द्वितीय चरण के अनुसार कुल 83 अदद योजनाएँ एवं चतुर्थ चरण के अनुसार कुल 76 अदद योजनाएँ बोरिंग फेल, मोटर जलने, पाईप में रिसाव, पाईप लाईन मिसलिंकिंग, स्टेजिंग में त्रुटि, बारम्बार विद्युत समस्याएँ एवं स्टार्टर जलने आदि कारणों से बंद पायी गयी।

02. Zero Office Day अभियान के तहत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित कुल 1539 अदद योजनाओं की जाँच में कुल 41 अदद योजनाएँ बंद पायी गयी एवं विभाग अन्तर्गत संचालित कुल 99 अदद योजनाओं की जाँच में कुल 02 अदद योजनाएँ बंद पायी गयी।

03. प्रमंडल स्तर से CGRC Portal पर दिनांक-09.05.2025 तक कुल 24 अदद शिकायतें लंबित पायी गयी। उल्लेखनीय है कि भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों को यथाशीघ्र विभागीय SOP के तहत निष्पादित करने का भी निदेश दिया गया था। भीषण गर्मी एवं लू की संभावित स्थिति में भी श्री अमित कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर द्वारा CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों को ससमय निष्पादन नहीं किया गया।

04. श्री कुमार के सासाराम प्रमंडल पदस्थापन अन्तर्गत CGRC Portal से दिनांक-06.12.2025 तक प्राप्त प्रतिवेदनानुसार कुल 305 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 50 अदद शिकायतें अभी भी लंबित है। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 40 अदद शिकायतों को Reopen किया गया है एवं एक से अधिक बार Reopen किये गये शिकायतों की संख्या 10 अदद है। इसके अतिरिक्त 152 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया।

05. श्री कुमार के स्तर से CGRC Portal पर कुल 255 अदद शिकायतों को निष्पादित दिखाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अपलोड किया गया, जबकि विभागीय नियंत्रण कक्ष से दूरभाष पर शिकायतकर्त्ताओं से मामले का सत्यापन कराने पर कुल 40 अदद

शिकायतकर्त्ताओं का Feedback असंतोषप्रद पाया गया, जिसके कारण प्रमंडलों के विभागीय रैंकिंग में सासाराम प्रमंडल की स्थिति काफी खराब पायी गयी।

06. CGRC Portal पर अत्यधिक संख्या में लंबित शिकायतों से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा विभागीय संकल्प के अनुसार जलापूर्त्ति योजनाओं के संचालन में लापरवाही बरती गयी है। Portal पर पूर्व से निष्पादित शिकायतों के Reopen होने एवं एक से अधिक बार Reopen होने से यह स्पष्ट है कि संबंधित शिकायतों का निष्पादन किये बिना ही भ्रामक प्रतिवेदन अपलोड कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है।

07. जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-13(मु०), दिनांक-29.06.2025 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के समीक्षोपरान्त निम्न त्रुटियाँ पायी गयी:-

(i) श्री कुमार द्वारा सात निश्चय-2 याजना अन्तर्गत "हर घर नल का जल(ग्रामीण)" के अनुरक्षण संबंधी प्रपत्र-6 के कॉलम-21 में लक्ष्य के विरूद्ध उपभोक्ता शुल्क देने वाले घरों की संख्या शून्य अंकित की गयी है, जबकि अनुरक्षकों का मासिक मानदेय का भुगतान समय-समय पर किये गए है, जिससे स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा अनुरक्षकों से कार्य नहीं कराया जा रहा है।

(ii) दिनांक-07.09.2024 को शिक्षा विभाग के GOB के आधारभूत कार्यो के अन्तर्गत शौचालय निर्माण संबंधी निविदा को अपलोड किये जाने के 21 दिनों के बाद तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को खोला जाना था। श्री कुमार द्वारा बिना किसी विशिष्ट कारण के जिला पदाधिकारी के संज्ञान में लाये बिना निविदा को रद्द कर दिया गया। साथ ही निविदा अपलोड किये जाने के तीन माह बीत जाने के बावजूद भी निविदा खोलकर कार्य नहीं किया गया।

(iii) दिनांक-17.06.2023 को श्री चन्देश्वर प्रसाद, पूर्व माननीय सांसद द्वारा ग्राम-सहोड़ाचक, पंचायत-कुमरडीह, प्रखंड-मखदुमपुर के देव स्थल के पास पानी की समस्या के कारण चापाकल अधिष्ठापित किये जाने के अनुशंसा के बावजूद भी श्री कुमार द्वारा चापाकल अधिष्ठापित नहीं कराया गया।

(iv) जिला प्रोग्राम शाखा, जहानाबाद के पत्रांक-1578/जि०प्रो०, दिनांक-12.12.2024 द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर खराब चापाकल एवं पेयजल अनुपलब्धता से संबंधित सूची प्रेषित करते हुए 15 दिनों के अन्दर खराब चापाकलों की मरम्मति एवं चापाकल अनुपलब्ध वाले केन्द्रों को "हर घर नल का जल" से आच्छादित कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु उक्त निदेश के बावजूद श्री कुमार द्वारा चापाकलों की मरम्मति कराकर पेयजल सुनिश्चित करने का कार्य नहीं कराया गया।

(v) दिनांक-16.01.2025 को जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा ई-कम्प्लायंस डैश बोर्ड पर लंबित शिकायतों की समीक्षा से संबंधित बैठक आयोजित की गयी थी, परन्तु श्री कुमार उक्त बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार की प्रस्तावित जहानाबाद यात्रा के मद्देनजर दिनांक-02.02.2025 को जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा आयोजित की गयी समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु श्री कुमार को निदेशित भी किया गया था, परन्तु श्री कुमार द्वारा उक्त बैठक में अपने स्थान पर सहायक अभियंता, जहानाबाद को भेज दिया गया। जहानाबाद जिला स्थित गाँधी मैदान में श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार-सह-प्रभारी मंत्री का जन संवाद कार्यक्रम दिनांक-03.07.2025 को आयोजित था। उक्त कार्यक्रम में माननीय मंत्री द्वारा श्री कुमार की खोज की गई, तो श्री कुमार अनुपस्थित पाये गये, जबकि एक दिन पूर्व कार्यक्रम से संबंधित बैठक में श्री कुमार को उपस्थित रहने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के बावजूद भी श्री कुमार अनुपस्थित पाये गये।

08. योजनाओं के बंद रहने एवं मानक के अनुरूप योजनाओं का संचालन नहीं किये जाने संबंधी आरोप के दृष्टिगत श्री कुमार के विरूद्ध पूर्व में भी आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-11/आ०2-1031/2025-859, दिनांक-29.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, इसके बावजूद भी उनके द्वारा अपनी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं लाया गया। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा भी योजनाओं के बंद रहने, निविदा के निस्तारन में शिथिलता बरतने एवं कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरतने हेतु श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया।

09. श्री कुमार द्वारा शिकायतों का ससमय निराकरण नहीं कराने से सरकार की महत्त्वकांक्षी योजना से ग्रामीण शुद्ध पेयजलापूर्त्ति के लाभ से वंचित हैं। इस संबंध में दिनांक-18.11.2025 एवं इसके पूर्व भी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठकों में श्री कुमार को लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र विभागीय SOP के तहत त्वरित निष्पादन किये जाने का निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु इसके बावजूद उनके क्रिया-कलाप में कोई सुधार नहीं आया। श्री कुमार के स्तर से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा संवेदकों के विरूद्ध भी न तो कोई कार्रवाई की गयी और न ही उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारियों/विभाग को प्रस्ताव ही उपलब्ध कराया गया।

10. श्री कुमार का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता मे वर्णित प्रावधानों एवं बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) का स्पष्ट उल्लंघन है।

11. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते है कि श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही

संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री दीपक कुमार, उप सचिव(प्र०को०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

12. आरोपित श्री कुमार, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा इस संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

13. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ श्री अमित कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद/सासाराम सम्प्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री दीपक कुमार, उप सचिव(प्र०को०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1056/2025- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सासाराम/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1056/2025- 412 पटना, दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:-श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना एवं श्री दीपक कुमार, उप सचिव(प्र०को०)-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना/श्री अमित कुमार, निलंबित कार्यपालक अभियंता मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोपरि।

16.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1056/2025- 412 पटना, दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम/गयाजी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1056/2025- 412 पटना, दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, सासाराम/जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

16-2-26